

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 07/2025 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, के नियम 16 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“16क. अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करना- जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई संदाय करना अपेक्षित है, उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी . -12 के भाग ख में आदेश जारी कर सकता है।”

3. उक्त नियमों के , अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 19 के उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी . -10” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संयुक्त करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में” शब्द, अक्षर और अंक अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के , अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 87, के उपनियम (4) में, “सामान्य पोर्टल” शब्दों के पश्चात्, “नियम 16क के अनुसार” शब्द, अंक और अक्षर सम्मिलित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के , अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप आर. ई. जी-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी -12

[नियम 16(1), 16 क देखें]

संदर्भ संख्या -

तारीख :

सेवा में,

(नाम) :

(पता) :

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण /स्वतः प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करने का आदेश

चूंकि, अधो हस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए , आपको अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबार परिसर से यथा अभिनिश्चित कारबार की विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं:

भाग क

उस व्यक्ति का विवरण जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष/महिला/अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म तारीख	तारीख /माह /साल
5.	व्यक्ति का पता	बिल्डिंग नं./फ्लैट नं..
		तल नं.
		परिसर/भवन का नाम
		सड़क/ गली
		कस्बा/नगर/इलाका/गांव

		ब्लॉक/ तालुका
		जिला
		राज्य
		पिन कोड
6.	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	ई-मेल	
9.	अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर/आधार नंबर/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी आईडी की प्रभावी तारीख	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या / अस्थायी आईडी	

13. बैंक खातों का विवरण [वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)	
--	--

बैंक खाते 1 का विवरण

खाता संख्या																				
खाते का प्रकार											आईएफएससी									
बैंक का नाम																				

शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)
-------------	---

टिप्पण - और बैंक खाते जोड़ें.

(अधिग्रहण ज्ञापन/निरोध ज्ञापन/कोई अन्य समर्थकारी दस्तावेज अपलोड करना)	
<<आपको इस आदेश के जारी होने के नब्बे दिनों के भीतर उचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है।>>	
हस्ताक्षर	
स्थान	<<अधिकारी का नाम >>:
तारीख :	पदनाम/क्षेत्राधिकार:
टिप्पण : आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी।	

भाग ख

चूंकि अधो हस्ताक्षरी के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए ,आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाती है:

अस्थायी पहचान संख्या प्रदान किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष/महिला/अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म तारीख	दिन /माह /साल
5.	व्यक्ति का पता	बिल्डिंग नं. /फ्लैट नं.
		तल नं.
		परिसर/भवन का नाम
		सड़क/ गली
		कस्बा/नगर/इलाका/गांव

		ब्लॉक/ तालुका
		जिला
		राज्य
		पिन कोड
6.	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	ई-मेल	
9.	अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी नंबर/पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर/आधार नंबर/अन्य)	
10.	अस्थायी आईडी की प्रभावी तारीख	
11.	अस्थायी आईडी	

12. बैंक खातों का विवरण [वैकल्पिक]

आवेदक द्वारा संचालित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)	
--	--

बैंक खातों का विवरण

खाता संख्या																	
खाते का प्रकार								आईएफएससी									
बैंक का नाम																	
शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)																

टिप्पण - और बैंक खाते जोड़ें.

हस्ताक्षर	
स्थान	<<अधिकारी का नाम >>:
तारीख :	पदनाम/क्षेत्राधिकार:
टिप्पण : आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी।	

[सं. सीबीआईसी -20001/15/2024- जीएसटी]

(रौशन कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 , खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 610 (अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 626 (अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए हैं।